

गाँधी जी की बालिक शिक्षा की विशेषताएँ
Features of the Basic Education of Gandhiji

बेसिक शिक्षा की विशेषताएँ

(CHARACTERISTICS OF BASIC EDUCATION)

- (1) उद्योग द्वारा शिक्षण—बेसिक शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बेसिक शिक्षा को किसी उद्योग के द्वारा होती है। ध्यान रखना है बेसिक शिक्षा में उद्योग की शिक्षा न होकर उद्योग के

द्वारा शिक्षा होती है। हाथ के काम के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, हाथ का काम केवल माध्यम है। अतः बेसिक स्कूल को कारखाना नहीं समझना चाहिए। हाथ के काम में तीन मुख्य हैं—कातना, बुनना, खेतों का काम और मिट्टी का काम। गाँधीजी के अनुसार इन तीन कामों से मानव जीवन का परिचय बहुत पुराना है।

(2) **समवाय पद्धति**—शिक्षा देने की एक विधि समवाय पद्धति है। आधुनिक विदेशी शिक्षा-पद्धतियों में भी समवाय का आश्रय लिया गया है। यह बात दूसरी है कि किसी पद्धति में सामाजिक वातावरण का सहारा लिया गया है तो किसी में प्राकृतिक का। बेसिक शिक्षा में इस बात का ध्यान दिया गया है कि समवाय तीन प्रकार से हो—

- (1) एक विषय में भिन्न-भिन्न भागों का आपस में सम्बन्ध स्थापित करके,
- (2) एक विषय का दूसरे विषय से सम्बन्ध स्थापित करके तथा
- (3) प्रत्येक प्रकार के ज्ञान को जीवन से सम्बन्धित करके।

समवाय के दो रूप और हैं—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उदाहरणार्थ सामाजिक अध्ययन के समय मातृभाषा के शब्दों का उच्चारण कराना प्रत्यक्ष समवाय है और तकली कातते हुए मैनेज्स्टर की शिल्पविद्या का ज्ञान कराना अप्रत्यक्ष। समवाय पद्धति से पढ़ाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए विषयों की शिक्षा आवश्यकतानुसार ही हो और शिक्षण के समय का खूब उपयोग किया जाये। समन्वय में अस्वाभाविकता नहीं आनी चाहिए। समन्वय का आधार हस्तकला हो। हस्तकला का चुनाव स्थानीय वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। पाठ में बालक की क्रियाशीलता का ध्यान रखना चाहिए। समवाय पद्धति में शिक्षक को प्रत्येक अवसर का उपयोग करने के लिए सतर्क रहना पड़ता है।

(3) **स्वावलम्बन**—गाँधीजी का विचार था कि बेसिक स्कूल को अपना खर्च अपने-आप निकालना चाहिए। गाँधीजी ने जिस समय यह बात कही थी उस समय की परिस्थिति के अनुसार उन्हें यही बात कहनी भी चाहिए थी। देश में निरक्षरता व्याप्त थी। निर्धनता के पाश में सम्पूर्ण देश जकड़ा हुआ था। गाँधीजी ने देखा कि देश को साक्षर बनाना तब तक कठिन है जब तक कि स्कूल आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं बनते। इसीलिए उन्होंने बेसिक शिक्षा में स्वावलम्बन को मुख्य स्थान दिया। किन्तु प्रारम्भ से ही बेसिक शिक्षा के इस सिद्धान्त का विरोध हुआ है। विरोध के कुछ स्पष्ट आधार हैं। इनको देख लिया जाये।

- (1) शिक्षा में कमाने की प्रवृत्ति का आना दुर्भाग्य की बात है। स्वावलम्बन सिद्धान्ततः हानिकारक है।
- (2) कोई उद्योग ऐसा नहीं है जिससे विद्यालय का सारा खर्च आ सके।
- (3) स्वावलम्बन सिद्धान्त को अपनाने में उद्योग माध्यम न रहकर साध्य हो जायेगा।
- (4) बालकों की बनाई वस्तुओं में टूट-फूट होना स्वाभाविक है। उद्योग के माध्यम से शिक्षा देने में कुछ और खर्च करने के लिए तैयार रहना है, खर्च निकालना तो बहुत दूर है।
- (5) बालकों की बनाई वस्तुएँ अच्छी नहीं होंगी। उनकी बिक्री के लिए बाजार मिलना कठिन होना।
- (6) कुछ अभिभावकों ने आपत्ति की कि ग्रामीण उद्योग-धन्धे सिखाकर बालकों के ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डाली जा रही है।
- (7) स्वावलम्बन से बालकों का शोषण होगा।

इन आपत्तियों के कारण स्वावलम्बन के सिद्धान्त में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। बेसिक शिक्षा के समर्थक भी अब यह मानने लगे हैं कि स्वावलम्बन का अर्थ पाठशाला का पूरा खर्च निकालना न होना चाहिए। किन्तु स्वावलम्बन के गुण का विकास करने के लिए कुछ न कुछ आय के लिए पाठशाला को प्रयत्न करना ही चाहिए।

स्वावलम्बन के इस परिवर्तित अर्थ को भारत सरकार ने भी 'दी कन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन' में स्वीकार किया है। पूर्ण स्वावलम्बन अब आंशिक बन गया है। कुछ लोग इस आंशिक स्वावलम्बन का भी विरोध करते हैं, किन्तु यदि बेसिक शिक्षा में आर्थिक तत्त्व को पूर्णरूपेण उपेक्षित कर दिया जायेगा तो व्यक्ति द्वारा बालक के जीवन से सम्बन्ध नहीं रहेगा, बालक हाथ के काम की ओर ध्यान नहीं देगा और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ेगी और बालकों में स्वावलम्बन की

भावना जाग्रत न हो सकेगी। आजकल बेसिक शिक्षा में स्वावलम्बन का सिद्धान्त आंशिक एवं मर्यादित रूप में ही माना जाता है।

(4) **मनोवैज्ञानिक आधार**—बेसिक शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धान्तों पर आधारित है। इसमें बालक को प्रधानता दी जाती है। बालक को इस शिक्षा में प्रतिदिन आत्म-प्रकाशन का अवसर दिया जाता है। बालक उद्योगों में अच्छा काम करके दूसरों को प्रभावित कर सकता है। इसमें बालक की शक्तियों का विकास किसी कार्य के द्वारा किया जाता है।

(5) **सामाजिक आधार**—बेसिक शिक्षा में बालक के सामाजिक गुणों का भी विकास किया जाता है। शिक्षा में पुस्तकों की अपेक्षा स्वतन्त्र ज्ञान पर बल दिया जाता है। समस्त विषयों की शिक्षा किसी हस्तकला के चारों ओर केन्द्रित रहती है। हस्तकला के माध्यम से बालकों में आज्ञापालन, सहिष्णुता, सहयोग आदि गुणों का विकास किया जाता है। भारतीय समाज के उन्नयन के लिए जिस प्रकार के सदस्यों की आवश्यकता है, बेसिक शिक्षा उस प्रकार के सदस्य निर्मित करने का दावा करती है।

(6) **सांस्कृतिक आधार**—बेसिक शिक्षा भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में बालक को शिक्षा देती है। विश्व को आज अहिंसा की आवश्यकता है। आज ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो विज्ञान को सांस्कृतिक नियमों से समन्वित कर सकें। बेसिक शिक्षा ऐसी ही सांस्कृतिक विचारधारा की पोषक है। बेसिक शिक्षा के समर्थक इसे अहिंसक क्रान्ति का बिगुल समझते हैं।

(7) **आर्थिक आधार**—बेसिक स्कूलों में छात्रों को किसी हस्तकला की शिक्षा दी जाती है। उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री से विद्यालय को कुछ आय हो सकती है। बालक किसी उद्योग को सीखकर भावी जीवन में सुगमता से जीविकोपार्जन भी कर सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा का आधार आर्थिक भी है।

(8) **श्रम का महत्त्व**—ब्रिटिश शिक्षा-प्रणाली में बालक श्रम से घृणा करना सीख जाते थे। बेसिक स्कूल में प्रत्येक छात्र को ह.य. से काम करना पड़ता है। इसलिए बालकों में श्रम से घृणा का भाव नहीं आता। बेसिक शिक्षा बालकों में श्रम से प्रेम करने की आदत डाल देती है।

(9) **क्रिया-प्रधान शिक्षा**—बेसिक शिक्षा में कोरी सैद्धान्तिक शिक्षा नहीं है। इसमें ज्ञान अनुभवजन्य माना गया है। अनुभव काम करने से ही होता है। काम करने सीखना स्थायी होता है। बेसिक शिक्षा में बालक काम करते-करते ज्ञानार्जन करते हैं। छात्र तकली चलाते हैं और उसी समय कपास की खेती, सूती उद्योग-धन्धों का इतिहास आदि का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं।

(10) **विद्यालय, घर और समाज के जीवन में सामंजस्य**—बेसिक शिक्षा में इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक जो कुछ घर पर देखता है उसी के आधार पर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करे। ऐसा न होना चाहिए कि घर एक बात सिखा रहा है और विद्यालय दूसरी बात। गाँव का बालक खेती बारी के निकट रहता है। इस खेती-बारी के माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करना उसके लिए सरल होगा। बेसिक शिक्षा इस तथ्य की ओर ध्यान देती है।